

# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिवक्ता चाकडू

दिनांक विष्णु बनाम गुल्मा

मुकदमा संख्या / वर्ष : 46 / 2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/5/24	<p>पक्षावली पेश हुई वादी का अधिवक्ता व 1 निपट 10 CPC पेशकर्ता वकील उपा। पक्षावली वादों पवाब व कदम 1 निपट 10 CPC हेतु पक्षावली दिनांक 28/5/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">31 उपखण्ड अधिवक्ता उपखण्ड, चाकडू (ज. 13)</p>	
	28/5/24	<p>पक्षावली पेश हुई वादी अधिवक्ता व 1 निपट 10 CPC पेशकर्ता वकील उपा। पक्षावली वादों पवाब / कदम प्रा. पत्र 1 निपट 10 हेतु पक्षावली दिनांक 1/5/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">31 उपखण्ड अधिवक्ता उपखण्ड, चाकडू (ज. 13)</p>	
	30/5/24	<p>पक्षावली <del>पेश</del> आज राते की पक्षावली के साथ नपब भी गरी वकील प्रा. व त्वयं प्रा. के रहे जाने व राता विज्ञा होने के कारण प्रा. फ 212 RTA का विज्ञा (आरिफ) किया जाता है। प्रा. पत्र 212 RTA मा आरिफ होने में न्यायापालय मा पूर्व लगान आदेश दिनांक 10/3/23 का प्रभाव हीन हो गया। पक्षावली वाद तकरती राखित दफतर है।</p> <p style="text-align: center;">31 उपखण्ड अधिवक्ता उपखण्ड, चाकडू (ज. 13)</p>	<p style="text-align: right;">शैकुल 24 I v B 2</p>

उपखण्ड अधिवक्ता  
उपखण्ड, चाकडू (ज. 13)